संलग्नक-04

(04)

कार्यवाही विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एफ–5, शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड, धमतरी द्वारा दुर्ग–रायपुर सेक्सन ऑफ एन.एच.–53 (मुम्बई–कोलकत्ता इकोनोमिक क्वोरीडोर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एफ–5, शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड, धमतरी द्वारा दुर्ग–रायपुर सेक्सन ऑफ एन.एच.-53 (मुम्बई–कोलकत्ता इकोनोमिक क्वोरीडोर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों नवभारत, रायपुर दिनांक 03.01.2019, एवं हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली दिनांक 03.01.2019 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 04 फरवरी 2019 दिन सोमवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–मानस भवन, रविशंकर स्टेडियम के बाजू में, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय, दुर्ग, नगर पालिक निगम, दुर्ग जिला–दुर्ग, नगर पंचायत, उतई, जिला–दुर्ग, नगर पंचायत–पाटन, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत थनौद, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पिसेगॉव, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–कोल्हिापुरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–चंदखुरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–हनौदा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत धनौरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–खम्हरिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–उमरपोटी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पुरई, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बोरीगारका, जिला–दुर्ग, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–खोपली, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पतोरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–सेलूद, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–गोडपेन्डरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–छांटा , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पुनईडीह, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–देवादा, जिला–दुर्ग,ग्राम पंचायत–फुन्डा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–अरसनारा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–देमार , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बठेना, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–चंगोरी, जिला–दुर्ग,ग्राम पंचायत–तुलसी , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–ठकुराईनटोला , जिला–दुर्ग, मुख्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 नया रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई हैं।। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप

में 01 आवेदन श्री ज्योति कुमार वर्मा आत्मज स्व. रिखीराम वर्मा , ग्राम व पोस्ट–देवादा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 04 फरवरी 2019 दिन सोमवार को पूर्वान्ह 11:30 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–मानस भवन, रविशंकर स्टेडियम के बाजू में, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा पुर्वान्ह 11:30 बजे दिन सोमवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत मनीष कश्यप, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई, तत्पश्चात् उद्योग के प्रतिनिधि श्री यश चौधरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एन.एच.ए.आई., पीआईयू धमतरी), श्री अनूप कुमार चौधरी, फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री मनोज वर्मा, अधिवक्ता, कलेक्ट्रेट, दुर्ग, जिला–दुर्ग।**

➢ पूर्व में पाटन एवं अन्य ग्रामों से दावा आपत्ति मंगाया गया था उसमें किसानों की कोई सुनवाई नही हुई है। जब तक सुनवाई नही हो जाती तब तक पर्यावरण की लोक सुनवाई को स्थगित किया जाये। मुआवजा कितना मिलेगा, इसकी जानकारी नही दी गई है। किसानों को गुमराह करके गुपचुप तरीके से किसानों की जमीन लेने का प्रयास किया जा रहा है। भूअर्जन नियम 2013 ग्रामीणों को दोगुना एवं कलेक्टर चार गुना दिया जाना था। छ.ग.राजपत्र भूअर्जन नियम को रद्द कर दिया गया था। जिसके तहत किसानों को काफी नुकसान हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आदेश पारित हुआ था जिसके माध्यम से किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाना था। जिसको दोगुना मुआवजा मिला था, उसे चार गुना मुआवजा दिया जाना निर्धारित किया गया है। किसानों के द्वारा दावा आपत्ति के समय उपस्थित हुए लेकिन नेशनल हाइवे के कोई अधिकारी वहां उपस्थित नही हुए। नेशनल हाइवे के नजदीक 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में जंगल सफारी स्थित है जो कि इससे बाधित होगा। नेशनल हाइवे के निर्माण से कई पेड़ कट जाते हैं लेकिन नेशनल हाइवे अथॉरिटी द्वारा पेड़ नही लगाये जाते हैं। किसानों की अत्यधिक भूमि का अधिग्रहण होना है। हम किसान अपनी भूमि नही देना चाहते हैं।

2. **श्री जे.के. वर्मा (अधिवक्ता), ग्राम देवादा, पाटन, दुर्ग, जिला–दुर्ग।**

➢ मुआवजे के संबंध में पर्यावरण लोक सुनवाई में हमें मुआवजे के संबंध में बाते रखना आवश्यक है। मैं ए.डी.एम. की बातो सहमत नही हूं। जितनी दावा आपत्ति नेशनल हाइवे अथॉरिटी के सामने रखी गई थी, पाटन में एक भी अधिकारी नेशनल हाइवे अथॉरिटी के उपस्थित नही हुए। विकास का मैं समर्थन करता हूं लेकिन किसी की जमीन जा रही है उसके समाधान के लिये आप गंभीर नही हैं। गांव में आज तक भूमि

अधिग्रहण के बारे में जानकारी नही दी गई है। अधिक से अधिक मुआवजा मिले, इस मंच मुआवजा का उल्लेख करना आवश्यक है। जो 2013 का प्रावधान है वह लागू होगा, मैं यह किसानों को बताना चाहूंगा। 4 दिसंबर 2014 को छ.ग.शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है जो मुआवजा है वह दोगुना से घटाकर एक गुना कर दिया गया है। इस हेतु ग्रामीणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। माानीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 में दिये गये प्रावधानों को मान्य किया है। चार गुना मुआवजे के बिना अधिग्रहण नही दिया जायेगा। हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे। हम लोगों ने जो आपत्ति दर्ज की है उसकी आज तक कोई सुनवाई नही हुई है। हम किसी झांसे में नही आने वाले हैं। नेशनल हाइवे से संवादहीनता है जब तक बात नही होगी हम इसका विरोध करेंगे। नेशनल हाइवे विभाग की ओर हम लोगों ने सूचना का अधिकार के तहत आवेदन लगाये थे, लेकिन नेशनल हाइवे विभाग ने जो उसका उत्तर दिया है वह अमाननीय है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम गारण्टी देते हैं कि पेड़ हम लगायेंगे। नियमानुसार अगर मुआवजा नही मिलता है तो हम अधिग्रहण नही होने देंगे। बाजार मूल्य के आधार गणना होना चाहिये। हर चीज की कीमत बढ़ रही है लेकिन 2016–17 जो जमीन का बाजार मूल्य था वह 2018 में भी है। बाजार मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। सभी जमीन का रेट अलग अलग होता है, रोड के पास की जमीन का रेट अलग होता है। इस आधार पर मुआवजा का मूल्यांकन होना चाहिये। नेशनल हाइवे बनने से नहर बाधित नही होना चाहिये। सूखा प्रभावित जगहों पर पर्याप्त मुआवजा का प्रावधान है। भूमि अधिग्रहण 2013 का पूर्णतः पालन होना चाहिये। मुख्य मार्ग की जमीन का अलग रेट तय है।

3. **श्री आशीष हरमुख, ग्राम थनौद, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं श्री जे.के. वर्मा की बातों से सहमत हूं। मेरी जमीन जा रही है जो कि लगभग 3.5 एकड़ है। मैंने कई आवेदन कलेक्टर जनदर्शन एवं एसडीएम कार्यालय में लगाया है। मेरी जमीनों का प्रकाशन नहीं हुआ है। नेशनल हाइवे ने मेरी जमीन में पिल्लर गाड़ा है। जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है वह मुझे भी दिया जाये। मेरी जमीन सड़क से लगी हुई है। ये सभी को ध्यान में रखते हुए भूअर्जन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4. **श्री रविन्द्र देव कोसले, दुर्ग जिला–दुर्ग।**

➢ मेरी जमीन भी टोल प्लाजा के अंतर्गत आ रही है। उसका प्रकाशन आज दिनांक तक नही हुई है जो मुआवजा हो सभी को दिया जायेगा वह मुझे मिलना चाहिये।

5. **श्री सियाराम निषाद, ग्राम–थनौद, दुर्ग, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे जमीन 3 एकड़ है, उसी से मेरा जीवन यापन होता है। मैं निवेदन करता हूं कि मुआवजा चारगुना दिया जाये। जिससे छोटे छोटे किसानों का उद्धार हो सके।

6. **श्री राम नारायण सिंग साहू, दुर्ग जिला–दुर्ग।**

➢ मैंने अपनी जमीन राईस मिल का निर्माण किया गया है। अपनी सारी जमीन नेशनल हाइवे में जा रही है केवल 10 प्रतिशत बचा है उसका हम क्या करें।

7. **श्री अर्जुन सिंग धनकर, थनौद, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारी जमीन का भी प्रकाशन नही हुआ है। नेशनल हाइवे द्वारा टोल प्लाजा बनाया जायेगा, उसमें हमारा नाम नही आया है। मेरी पूरी जमीन का प्रकाशन किया जाये।

8. **श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम–उमरपोटी, जिला–दुर्ग।**

➢ जमीन की रजिस्ट्री हुई है, जिसमें हमें ऋण पुस्तिका आज तक नही मिली है। हमने जमीन बेच चुके हैं, कई लोगों ने जमीन बेचा है, जिसकी रजिस्ट्री हुई है लेकिन ऋण पुस्तिका नही मिली है। उन्हें ऋण पुस्तिका दिया जाये। जिससे किसानों को जो मुआवजा मिलेगा उसमें हम अपना योगदान दे सके।

9. **श्री गुरूदेव साहू, ग्राम– अरसनारा, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे द्वारा जमीन के संबंध में आवेदन किया गया है। मुझे सही जानकारी नही मिली है। हम मांग करते हैं कि वर्मा जी को तो कुछ ज्ञान है, लेकिन हम लोग किसान हैं हमें कुछ ज्ञान नही है। हम एडीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि हमें चारगुना मुआवजा मिलना चाहिये। जो मेरा फेंसिंग है, जाली है उसका भी मुआवजा मिलना चाहिये। जो भूमि अधिग्रहण में आ रही है उसकी राशि अलग से मिलना चाहिये एवं जमीन प्रकाशित होना चहिये। सबकी सुनवाई एक साथ होना चाहिये।

10. **श्री कल्याण पटेल, ग्राम–पुरई, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं जमीन खरीद नही पाया, मेरे दो लड़के बेरोजगार हो चुके हैं। सही मुआवजा दिया जाये।

11. **श्री सेवाराम साहू, दुर्ग, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा 2 एकड़ जमीन है जो नेशनल हाइवे के अंतर्गत आ रहा है। मुझे चारगुना मुआवजा दिया जाये।

12. **श्री के0जी0 जालंधर, ग्राम पुरई, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे छोटे छोटे प्लाण्ट है लेकिन नेशनल हाइवे बनने से ये इस घेरे में आ जा रहे हैं। पेपर में प्रकाशन होना चाहिये।

13. **श्री अजय पाण्डे, इस्पात नगर रिसाली, किसान सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरी 3 एकड़ जमीन है जिसमें से 2.5 एकड़ जमीन निकल रही है, जो जमीन छूट रही है वो किसान के लिये कोई उपयोगी नही है अतः पूरी जमीन ली जाये तथा चार गुना मुआवजा दिया जाये। दो साल से जो खम्बा लगाया गया है उससे हम लोग दबाव में हैं। जिससे जमीन में अभी तक कुछ नही कर पाये हैं।

14. **श्री भीखम दास, ग्राम धनोरा, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरी 3 एकड़ जमीन है, उसके पास भी मेरी जमीन है उसका प्रकाशन किया जाये एवं उसका मुआवजा दिया जाये।

15. **श्री भागवत राम बंजारे, ग्राम–गोंडपेण्डरी, पाटन, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरी 2 एकड़ जमीन है, जिसका रकबा नंबर 1305 है, हम पर्यावरण के साथ हैं, प्रोजेक्ट को जमीन देने के लिये तैयार है लेकिन इसका हमें सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिये। चारगुना मुआवजा मिलना चाहिये। किसान को कोई भी नुकसान पहुंचाकर कोई भी प्रोजेक्ट नही आना चाहिये। आप लोग हमें सम्मानजनक मुआवजा देंगे, तब हम अपनी जमीन देंगे। मुझे पूरी जमीन का मुआवजा दें।

16. **श्री संजय राम जांगड़े , ग्राम पचेड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ जंगला सफारी पास में है, वहां से नेशनल हाइवे गुजरने से जानवरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारी जमीन का प्रकाशन नही हो पाया है। हमारा जमीन कितना जा रहा है वह स्पष्ट हो जाये। जिससे उचित मुआवजा मिले।

17. **श्री राजन अशोक चंद्राकर, ग्राम–पिसेगांव, जिला–दुर्ग।**

➢ पीसेगॉव हमारा गॉव है, इसमें हमारी जमीन का अधिग्रहण होना है। पीसेगॉव के बगल में शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के उपर से ब्रिज प्रस्तावित है, उस जगह पर शासन प्रशासन के द्वारा आर्मी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। वहॉ ब्रिज बनाने से गॉव के अपस्ट्रीम लेवल पर फ्लड आने की संभावना है। गॉव के पास से ही पी.एम.जे.एस.वाई. की एप्रोच रोड है, वहा पर एम्बेकमेंट बनाया जाना है, जो कि खतरनाक होगा, जिससे रिवर का कास सेक्शन पतला हो जाएगा। एन.एच.ए.आई. द्वारा डी.पी.आर.कन्सलटेंट को काम दिया जाता है जो की केवल कट, कापी पेस्ट का काम करते है, ये स्पेसिफिक काम नहीं करते है। यहॉ फ्लाई ओवर रिकमण्ड करना आवश्यक है। इकानॉमिक कारिडोर का उद्देश्य कम कीमत में हाईवे का निर्माण करना है, लेकिन जिस जगह पर हाईवे बनना है वहॉ की जमीन का रेट कॉपी अधिक है, यहॉ पर 1 एकड़ भूमि का 2 करोड़ रूपये मूआवजा मिलना चाहिये। हाईवे मिनिमम डिसटेन्स पर बनाया जा रहा है, हाईवे दुर्ग से 20 से 30 कि.मी. दूरी पर ले जाया जाना चाहिये। किसानों का पूरा हक मिलना चाहिये, कुछ ऐसी भी भूमि है जो वेटलैंड में गिनी जाती है, वहॉ जंगली सूअर का प्रकोप है, वहॉ हाईना भी मिलता है, यहॉ रिवर कॉपी गहरी और पतली है, यहॅ माईग्रेटरी बर्डस् भी मिलते है। हाईवे को शहर से दूर ले जाना चाहिए।

18. **श्री जयप्रकाश साहू, ग्राम–पाटन, जिला–दुर्ग।**

➢ रोड किनारे के किसानों को बराबर मुआवजा मिलना चाहिये। चारगुना मुआवजा दिया जाये।

19. **श्री .संजय कुमार सिंग, ग्राम–सेलूद, पाटन, जिला–दुर्ग।**

➢ मुआवजा चारगुना मिलना चाहिये। मेरे जमीन में बोर एवं अन्य चीजे भी है। मुझे चारगुना से भी मुआवजा मिलना चाहिये। मेरी जमीन दूसरों से ज्यादा कीमती है। घर बन चुका है।

20. **श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा, चंगोरी, ग्राम–पाटन, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा आधा एकड़ जमीन है। उसी से मेरा गुजारा होता है। हम हमारी जमीन को अधिग्रहण नही होने देंगे।

21. **डॉ0 अर्चना चौहान, ग्राम–हनोदा, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव में मेरा पुस्तैनी जमीन है। जिसका लगभग 2.39 हेक्टेयर है। हम जो जमीन खरीदते हैं एवं स्वीकृति तभी होना चाहिये जब तक हमको यह पता न हो जाये कि

हमारी जमीन का कितना मुआवजा मिलना है। क्योंकि हम लोग दूसरी जगह पर जमीन लेने जाये तो काफी अधिक कीमत पर मिलेगी।

22. **श्री पूनाराम साहू, ग्राम–अरसनारा, जिला–दुर्ग।**

➢ शासन हमारी जमीन ले रही है। हमारी छोटी जमीन निकल रही है। हमें अलग से जमीन लेने में कठिनाई होगी। जो जमीन हमारी जा रही उसका चारगुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिये। हम अगर दूसरी जगह जमीन लेते हैं तो अधिकारियों द्वारा हमें मदद करना पड़ेगा।

23. **श्री अशोक चंद्राकर, ग्राम–पिसेगांव, जिला–दुर्ग।**

➢ जिस किसान के खेतों में पौधें हैं, जो किसानों को 50 साल तक फल देगा, उसका पूर्ण मुआवजा देना होगा। जमीन की कीमत 500 से 1500 वर्गफीट है। उसका मुआवजा चारगुना मिलना चाहिये।

24. **श्री अशोक जैन, ग्राम–सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरी जमीन स्टेट हाइवे–65 से लगी हुई है। मेरे गांव में जानवर घुस गया है। वहां पर घटना भी हो चुकी है। उसकी लगातार मानीटरिंग की जाये एवं हाइवे में बैठे जानवर के लिये गौशाला बनना चाहिये।

25. **श्री कृष्णा लाल निषाद, ग्राम–थनौद, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे जमीन में काफी पेड़ हैं जो काफी सालों से लगे हुए है। उनका आंकलन कर मुआवजा दिया जाये।

26. **श्री मनहरण लाल चंद्रवंशी, ग्राम–चंगोरी, पो0 पाटन, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा 4 एकड़ का जमीन आ रहा है जिसमें से 2.5 एकड़ का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। अतिरिक्त जमीन पर काफी पेड़ लगे हुए हैं, उसका नुकसान होगा। उसका चारगुना मुआवजा मिलना चाहिये।

27. **श्री चंद्र कुमार वर्मा, चंगोरी, ग्राम–पाटन, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरी जमीन 3 एकड़ है जिसमें 1 एकड़ निकल रहा है। मेरा जमीन दूसरे के नाम में चला गया है। मेरी जमीन मेरे नाम पर होनी चाहिये। मेरी जमीन का मुआवजा मुझे ही मिलना चाहिये। त्रुटि को सुधरवाने का कष्ट करें।

28. **श्री गुरूदेव साहू, ग्राम–अरसनारा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारी का जो मुआवजा मिलेगा उसमें शासन इनकम न समझकर उसमें टैक्स न लगाये। लाईन कनेक्शन लेने में बहुत खर्चा आता है अतः उसका भरपाई भी नेशनल हाइवे द्वारा किया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों, सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया। उद्योग के प्रतिनिधि श्री यश चौधरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एन. एच.ए.आई., पीआईयू धमतरी), श्री अनूप कुमार चौधरी, फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों का उद्योग प्रतिनिधि की ओर अपना वक्तव्य/पक्ष/समाधान एवं प्रस्ताव रखा गया जो कि निम्नानुसार है :–

❖ सभी किसानों की बातों को मै ध्यान से सुना हूँ। किसान नहर की बात कर रहे थे। मै स्वयं उसका विजिट करूंगा। एन.एच.ए.आई. का सेटअप बहुत छोटा होता है। डी.पी.आर. का पूरा कार्य कंसलटेंट की टीम के द्वारा किया जाता है। मूआवजे के संबंध में सक्षम

प्राधिकारी उसका उचित निर्णय लेंगे। मूआवजे का निर्णय केन्द्र सरकार के नियमों के तहत् किया जाएगा। ब्रिज के उपर जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी पूरी डिजाईन कंसलटेंट के द्वारा की जाती है। नदी का प्रवाह किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं होगा। मै व्यक्गित रूप से नदी की साईट का निरीक्षण करूंगा। हाईवे को दूर ले जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा एवं हाईवे को बनाने का मतलब ही नहीं होगा। परिसम्पति का मुआवजा पहले फोटोग्राफी की जाएगी उसके पश्चतात् उसका मूल्यांकन होगा।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 04 फरवरी 2019 दिन सोमवार को लिखित में 50 आवेदन मौके पर प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	श्री निलेशकान्त स्वर्णकार, ग्राम पुरई, जिला–दुर्ग	दावा आपत्ती।
2.	श्रीमती संगीता चाण्डक, बी–15, महेश नगर, पुलगॉव, दुर्ग।	भारत माला, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–53 मे भूमि अधिग्रहण संबंधी लोक सुनवाई में आपत्ती बाबत्।
3.	श्री अश्नि कुमार देशमुख, ग्राम कोल्हिापुरी, जिला दुर्ग	मेरे भूमि कोल्हिापुरी, खसरा नं.–87/1 में रकबा–5 आरे एवं पीसेगॉव खार में 5 आरे कृषि भूमि नेशनल हाइवे में अधिग्रहण होने के कारण चार गुणा मांग हेतु आवेदन पत्र।
4.	श्री ज्योति कुमार वर्मा, ग्राम देवादा, जिला–दुर्ग	भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत् मुआवजा का प्रावधान लागु करते हुए भुगतान के बाद भी अधिग्रहण हेतु– खसरा नं.–430, ग्राम देवादा अधिग्रहित रकबा–0.598 हेक्टेयर
5.	ए.जी.एस. ग्राम सेलूद,जिला–दुर्ग	नामांतरण करते हुए मुआवजा प्रदान करने बाबत्
6.	ए.जी.एस. ग्राम सेलूद,जिला–दुर्ग	नामांतरण करते हुए मुआवजा प्रदान करने बाबत
7.	श्रीमती मन्जूशा मिश्रा, सेक्टर–9, भिलाई, जिला दुर्ग	नामांतरण करते हुए मुआवजा प्रदान करने बाबत
8.	श्री परिसपोगु सिरीष, मं. नं.–2 ए, सड़क–11, सेक्टर–7, भिलाई नगर	खसरा नं.–148/1 हेतु।
9.	श्री कल्याण सिंह पटेल, ग्राम–पुरई, जिला–दुर्ग	आवेदक के भूमिस्वामी हक की जमीन मौजा ग्राम पुरई, प.ह.नं.–29, रा.नि.म., तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं.–225/1, रकबा–0.60 हेक्टेयर भूमि तथा आवेदक के पुत्रगण प्रवीण कुमार, नवीन कुमार के संयुक्त नाम से स्थित भूमि खसरा नं.–220/1, रकबा–0.11 हेक्टेयर लगान 0.25 पैसा जो मुख्य रोड रास्ता में शासन के विज्ञप्ति के अनुसार निकाला गया है जो मेरा आय का साधन है इसके अलावा आय का अन्य कोई साधन नहीं हैं।
10.	श्री मोरध्वज वर्मा, ग्राम सेलूद, जिला दुर्ग	भारत माला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 में प्रभावित रकबा भूमि में त्रुटीपूर्ण प्रकाशन में संशोधन करने हेतु आवेदन।

11.	श्री राजन चन्द्राकर, ग्राम पीसेगांव, जिला–दुर्ग	शिवनाथ नदी में पुल बनाये जाने के संबंध में।
12.	श्री रोशन चन्द्राकर,	मुआवजा देने बाबत्।
13.	श्री प्रभुराम निषाद, ग्राम ठकुराईनटोला, जिला दुर्ग	भारत माला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–53 में प्रभावित रकबा भूमि में त्रुटी सुधार बाबत्।
14.	डॉ0 अर्चना चौहान, दुर्ग	दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका रायपुर दिनांक 15.03.2018 के पेज नं.–7 में प्रकाशित अधिसूचना सड़क परिवहन राजमार्ग, मंत्रालय, नई दिल्ली 9 मार्च 2018 पर आपत्ती।
15.	श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव, 1/3 मैत्री नगर, भिलाई	भू–अर्जन के संबंध में आपत्ती किये जाने बाबत्।
16.	श्री महेन्द्र प्रताप यादव, 1/3 मैत्री नगर, भिलाई	भू–अर्जन के संबंध में आपत्ती किये जाने बाबत्।
17.	श्री संदीप कुमार सिंह, भिलाई	मुआवजे की दर प्रकाशित हेतु आवेदन।
18.	श्री सेवाराम साहू , ग्राम चंगोरी, तहसील–पाटन, जिला दुर्ग	अधिग्रहित भूमि का न्युनतम चार गुणा मुआवजा हेतु।
19.	श्रीमती पुष्पा साहू , ग्राम हनोदा, जिला–दुर्ग	खसरा नं.–742/4, ग्राम हनोदा, तहसील–दुर्ग की कृषि भूमि 5 डिसमिल का भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा विषयक।
20.	श्रीमती सीमा साहू , इस्पात नगर, रिसाली भिलाई।	मेरी भूमि मौजा खम्हरिया, खसरा नं.–552/2, रकबा–0.17 हेक्टेयर में से 0.073 हेक्टेयर = 18 डिसमिल भूमि लगभग जिसका पटवारी हल्का नं. –40 रा.नि.मं.–अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग भूमि के अधिग्रहण बाबत् दैनिक समाचार पत्र पत्रिका भिलाई में दिनांक 30.01.2019 दिन बुधवार को मुआवजा बाबत् प्रकाशित सूचना पर दावा आपत्ती।
21.	श्री अशोक जैन, ग्राम सेलूद, तहसील–पाटन, जिला दुर्ग	शासन के भू अर्जन की राशि अशोक जैन के नाम पर प्रदान किया जाने हेतु बाबत्।
22.	श्री धमेन्द्र कुमार, ग्राम हनोदा, जिला दुर्ग	बन्दोबस्त त्रुटि एवं दावा आपत्ती करने बाबत्।
23.	श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम हनोदा, जिला दुर्ग	बन्दोबस्त त्रुटि एवं दावा आपत्ती करने बाबत्।
24.	श्री गुरूदेव, ग्राम पंचायत अरसनारा, जिला दुर्ग	मॉग हेतु आवेदन पत्र।
25.	श्री राजकुमारी , ग्राम थनौद, जिला–दुर्ग	भारत माला परियाजना के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–53 के अंतर्गत आपके कार्यालय में दिनांक 19.12.2018 को जन सुनवाई एवं निराकरण से संबंधित।

26.	श्री तुलसी राम यादव, ग्राम पुरई, तहसील व जिला दुर्ग	दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–53 में भू अर्जन के संबंध में।
27.	श्री लक्ष्मीकान्त यादव, ग्राम पुरई, तहसील व जिला दुर्ग	दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–53 में भू अर्जन के संबंध में।
28.	श्री आशीष हरमुख, ग्राम थनौद, तहसील व जिला दुर्ग।	छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक–53 के अंतर्गत ग्राम थनौद के कृषि भूमि अर्जन हेतु उचित मूआवजा देने बाबत्।
29.	श्रीमती उमा देवी, ग्राम उमरपोटी, जिला–दुर्ग	मुआवजा देने हेतु।
30.	श्री अभिषेक शुक्ला, दुर्ग	खसरा नं.–137/15 का मुआवजा हेतु।
31.	श्रीमती ऊषा मिश्रा	कुछ जमीन बच रही है। उस जमीन का भी मुआवजा किया जाय।
32.	श्रीमती प्रियंका यादव	मुआवजा देने बाबत्।
33.	मोहम्मद फारूख खान, बी.आर.पी.चौक, स्टेशन, मरोदा, पोस्ट–नेवई, भिलाई तहसील व जिला–दुर्ग	मुआवजा हेतु।
34.	श्री संतलाल सारथी, श्रीमती तिजिया बाई सारथी।	छ.ग.राज्य के दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53 के अंतर्गत ग्राम थनौद के कृषि भूमि अर्जन हेतु अग्रिम मुआवजा देने बाबत्।
35.	श्रीमती शुभांगी भुयार,ग्राम उमरपोटी, जिला–दुर्ग	हमारी जमीन का प्रकाशन नहीं हुआ है।
36.	श्री खेमलाल देवांगन, ग्राम–पीसेगॉव, जिला दुर्ग	लड़के को नौकरी देने का कष्ट करें।
37.	श्री मनहरण लाल चन्द्रवंशी,ग्राम पंचायत चंगोरी, पोस्ट आफिस बठेना, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग	मांग हेतु आवेदन पत्र।
38.	श्री शिव कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत फूण्डा, पटवारी हल्का नं.–21, पोस्ट आफिस–देवादा,तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग	मांग हेतु आवेदन पत्र।
39.	श्री श्रवन कुमार अग्रवाल, ग्राम पंचायत पीसेगांव पटवारी हल्का नं.–27, पोस्ट आफिस–पीसेगांव, तहसील दुर्ग, जिला–दुर्ग	मांग हेतु आवेदन पत्र।
40.	श्री भागवत राम बंजारे, ग्राम पंचायत गोंडपेन्ड्री, पटवारी हल्का नं.–23, पोस्ट आफिस–देवादा, तहसील, जिला–दुर्ग	मांग हेतु आवेदन पत्र।
41.	श्री कृष्णा लाल निषाद, ग्राम–थनौदा, जिला–दुर्ग	फसल का का मुआवजा दीया जाये।
42.	श्रीमती गीता पाण्डेय, ग्राम–पुरई, जिला–दुर्ग	खसरा कमांक 202 का मुआवजा हेतु।

43.	श्री नरेश कुमार सेन, पटवारी हल्का नं. –40, राजस्व निगम मंडल, भिंडा, ग्राम–पुरई, तहसील– व जिला दुर्ग	त्रुटी सुधार बाबत्।
44.	श्री थान सिंह वर्मा, ग्राम साकिन चंगोरी पाटन, जिला–दुर्ग	सिक्स लेन में खसरा नम्बर बदलने हेतु।
45.	श्री अर्जुन सिंह, चन्द्राकर, ग्राम–थनौद, जिला–दुर्ग	छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53 के अंतर्गत ग्राम–थनौद के कृषि भूमि अर्जन हेतु उचित मुआवजा देने बाबत्।
46.	श्री नंद कुमार साहू , ग्राम पंचातय अरसनारा, पटवारी हल्का नं.–21, पोस्ट आफिस देवादा, तह.पाटन, जिला–दुर्ग	मांग हेतु आवेदन पत्र।
47.	श्री धरमूराम साहू , ग्राम व पोस्ट पुरई , तहसील व जिला दुर्ग	बंदोबस्त त्रुटी सुधार हेतु आवेदन।
48.	श्री विष्णु लाल	खसरा नं.–1094/2 त्रुटी सुधार हेतु।
49.	श्री अशोक कुमार साहू	खसरा नं.–1085 त्रुटी सुधार हेतु।
50.	श्री दीपक निर्मलकर एवं अन्य, ग्राम–चंदखुरी, जिला–दुर्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–53, के निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम–चंदखुरी प.ह.न. 29, खसरा नं. 93/2, रकबा 0.14 हे0 एवं खसरा नं. 75, रकबा 0.20 हे0 का मुवाअजा अनावेदकगण को प्रदान नहीं किये जाने बाबत्।

लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय द्वारा उठाये गये मुद्दों, सुझाव, विचार एवं आपत्तियों को अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा संक्षिप्त में पढ़कर सुनाया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से **कुल 107** लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **01:45** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

04/07/19

(मनीष कश्यप)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(संजय अग्रवाल)
अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग